


26.08.
2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपास्थित नहीं।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन
अधिकारी के विरुद्ध आक्षेप लगाकर यह शर्तना का
पेश किया गया है, उनकी दिनांक 31.08.2021 को सेवाक्रियता
हो रही है। ऐसी स्थिति में 5 दिन के लिये पत्रावली को
अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित
नहीं है। पत्रावलियों में नियमित सुनवाई होना आवश्यक
है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को
वापिस भिजवाया जाना उचित है। ताकि नवीन पदस्थापित
होने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार की पत्रावलियों
में नियमित सुनवाई की जा सके।

अतः शर्तना पत्र शर्ती खारिज किया जाता है।
जिर्जय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय
का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल
शुभार होकर बाद तकमील दाखिल इफ्तार हो। उभय
पक्षकारान दिनांक 01.09.2021 को न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नार्दोती में उपास्थित हो।


मिला कलकत्ता
करौली